

कार्यालय आदेश

विधायक निधि के अन्तर्गत श्री फकीर राम टन्डा जी, मा0 विधायक, विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के सापेक्ष संसुत एवं मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट को निम्नलिखित उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त की जाती है।

- कार्य विधायक निधि के अन्तर्गत प्रसारित मार्गनिर्देशों/मानकों के अनुसार कठना सुनिश्चित करें।
- इस धनराशि को उपयोग किसी अन्य योजना में किये जाने पर विभाग की अनिश्चितता होगी तथा विभाग को उत्तरदायित्व निर्वाहित किया जायेगा।
- क- मा0लोकायुक्त के शासनादेश सं0 537/XI/07/51(01) 2007/ग्राम विकास अनुनाग/देहरादून दिनांक 23 जुलाई 2007 में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य को Detail Estimate बने जिसमें Detail Drawing and Specification अंकित हो तथा उस पर सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के हस्ताक्षर हो, और तदुपरचात कार्य उसके अनुसार शत- प्रतिशत किया जाये। यदि कोई Variation(भिन्नता) हो तो सक्षम अधिकारी से Variation Statement तैयार कर Variation के कारण का औचित्य देते हुए Variation की स्वीकृत ली जाय। अंकित बिल के भुगतान से पहले Variation Statement की स्वीकृति एवं गुणवत्ता परीक्षण हेतु गठित टीम द्वारा गुणवत्ता की जांच हो, तदुपरचात भुगतान किया जाय।
- ख- निर्माण कार्य हेतु टोली नायक उसी व्यक्ति को बनाया जाय, जिसे इस संबंध में पर्याप्त अनुभव हो, साथ ही निर्माण कार्य का समय-समय पर तकनीकी पर्यवेक्षण अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाय।
- ग- सभी निर्माण कार्य की ड्राइंग स्वीकृत होनी चाहिए तथा मा0 विधायक से भी उक्त ड्राइंग पर सहमति ली जानी चाहिए एवं उक्त स्वीकृत ड्राइंग के अनुसार ही कार्य पूर्ण होने चाहिए साथ ही निर्माण सम्बन्धी मानक निर्धारित कर उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस पत्र द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/विभाग द्वारा यह कार्य नहीं कराया गया है/ कराया जा रहा है। यदि कार्य पूर्व से किया गया है अथवा किया जा रहा है तो धनराशि वापस प्रेषित की जाय तथा योजना यदि व्यक्तितगत लाभार्थी के लाभ हेतु प्रतीत होती है तो निर्माण कार्य सम्पादित न किया जाय।
- इस बात पर बल नहीं दिया जाना चाहिये कि घयन किये गये निर्माण कार्य के लिए अनिवार्यतः सरकारी भूमि ही हो, यह नगर पालिका/पंचायती संस्थाओं, निजी न्यासों, व्यक्तियों द्वारा अन्यापित की गई है उसका उक्त भूमि को अन्यापित करने का स्वामित्वधिकार होना चाहिए। जिला प्रधिकारियों को यथाशीघ्र सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय भूमि का अन्यापित नियमों के अन्तर्गत हो जिस अन्यापित/स्थानान्तरित भूमि का अन्यापन किया गया हो अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसार भूमि अन्यापन जैसी स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त पद्धति का तब तक पर्याप्त समझा है जब तक अन्यापन कानूनी वैधता प्राप्त करे, साथ ही इस भूमि पर निर्मित परिसम्पत्ति उस सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी जिसके लिए निर्माण कार्य किया गया है।
- इस योजना के अन्तर्गत आने वाले किसी भी कार्य के लिए आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम देना निषिद्ध है यह भी प्रयास हो कि इस निधि से प्रस्तावित कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाय।
- स्वीकृति धनराशि से जो निर्माण कार्य किया जायेगा उसकी अवमुक्त धनराशि से व्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी (प्रथम त्रैमासिक में 35 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमासिक में 15 प्रतिशत तृतीय त्रैमासिक में 25 प्रतिशत, चतुर्थ त्रैमासिक 15 प्रतिशत)
- स्वीकृत कार्य का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा जिसमें मा0 विधायक का नाम, योजना की लागत, योजना का नाम, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि स्वीकृति का वर्ष अवश्य अंकित किया।
- योजना को पूर्ण करते हुए सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/विभाग/ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करेगी जिसका उल्लेख कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में किया जायेगा। इस निधि से कराये जा रहे कार्यों के विवरण (वित्तीय एवं भौतिक प्रगति) की सूचना प्रतिमाह 20 तारिख से पूर्व नियमित रूप से जिला विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किया जाय।
- प्रमुख सचिव महोदया, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रसंख्या 2023/XI/17/56(21) (2007)दिनांक 5.12.2017द्वारा निर्गत विधायक निधि के संशोधित मार्ग निर्देशिका के बिन्दु संख्या-2.2 के अनुसार जहां तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, विधायक निधि के कार्यों के लिए निजी ठेकेदारों को लगाया जा सकता है लेकिन इस हेतु निजी ठेकेदारों के चरित्र/सत्यनिष्ठा आदि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिखित अनुमोदन दिये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत किया जायेगा।
- इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के रख-रखाव और अनुश्रवण की व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकाय अथवा सम्बद्ध अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
- सामग्री के क्य के लिये वित्तीय नियमों तथा स्टोर पर्चेज रूल्स एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जाय।
- इस योजनान्तर्गत घयनित कार्य एवं स्थान को मा0 विधायक जी सहमति के बिना एवं मुख्य विकास अधिकारी की स्वीकृति के बिना परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- निम्न निर्माण कार्य तीन महिने के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय।
- विधायक निधि योजना के अन्तर्गत किये गये सभी कार्यों पर वित्तीय नियमों बजट मैनुवल और लेखा परिक्षण सम्बन्धी प्रक्रियाएं मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं शासन द्वारा जारी तदविषयक शासनादेशों को पालन किया जाय।
- इस निधि के अधीन बिना निविदा आमंत्रित किये अर्थात् विभागीय पद्धति(मस्ट्रोल) कार्यादेश के आधार पर कराये जाने वाले निर्माण कार्य की सीमा रु0 5.00 लाख (रु0 पांच लाख मात्र) रहेगी।
- विधायक निधि से व्यय की जाने वाली धनराशि का ऑडिट उसी वर्ष के दो माह (अप्रैल, मई) के अन्दर किया जायेगा
- विधायक निधि के अधीन किसी योजना विशेष हेतु स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कम व्यय होने पर अवशेष धनराशि पुनः वापस की जायेगी। योजना में स्वीकृत धनराशि से अधिक की धनराशि का भुगतान इस स्तर से नहीं किया जायेगा।
- इस निधि के अन्तर्गत कार्य की लागत से कम व्यय होने पर बचत की धनराशि किसी औचित्यपूर्ण कारण से अप्रयुक्त धनराशि तथा व्याज की धनराशि को प्रत्येक दशा में राजकोष में जमा किया जाना होगा।
- निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वे नियमित रूप से इन निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यों में निर्धारित प्रक्रिया एवं विशिष्टियों के अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही है।
- विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों की अनुश्रवण व्यवस्था हेतु MIS एवं Geotagging की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये।

- 24 योजनामार्गत किये गये समस्त कार्यो का सामाजिक सम्प्रेक्षण (Social Audit) कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 25 मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की कार्यकारिणी को इस प्रतिबन्ध के साथ कि कार्य का आगणन तथा उपयोजिता प्रमाण-पत्र किसी सक्षम स्तर के अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो, के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 26 व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोचयोरमेंट क्लस 2008 एवं 2017 तथा अन्य उद्देश्यक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 27 शासन स्तर से समय-समय पर दिये गये निर्देशों के कम में जी०एस०टी०/टी०डी०एस० करों की कटौती नियमानुसार सुनिश्चित की जायें।
- 28 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्तपोषित हैं कि लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है तथा सम्भव अपने स्तर से ही सूचना उपलब्ध करा सकें।
- 29 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जी भव्य एच योजना पूर्ण होने पर तीनों स्तरों की फोटोग्राफस लिया जाय।
- 30 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माणधीन योजना वन भूमि न हो एवं स्वामित्व विवाद न हो।
- 31 यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संदर्भित योजना जल जीवन मिशन या अन्य विभाग द्वारा निर्मित न की जा रही हो।
- 32 विभायक निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो में किसी भी प्रकार का कय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का पूर्ण पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्लोर लाईट कय में गुणवत्ता/रख-रखाव इत्यादि उरेडा विभागानुसार किया जायेगा। उक्त योजनाओं में शासन द्वारा (CAG/AG) Audit कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

संलग्न- योजना का विवरण।

कार्यदायी संस्था खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट को धनराशि अवमुक्त								
क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य का नाम	मात्राकृत योजना	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रू० में	प्रशासनिक स्वीकृत धनराशि लाख रू० में	प्रथम किस्त अवमुक्त लाख रू० में (75%)		
1	2	3	4	5	6	7		
1	ग्राम जखेडी में बल्ला जखेडी से भटनगाव की ओर सी०सी०/खडण्जा निर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	3.00	3.00	2.25		
2	ग्राम पंचायत गानुरा में नौला के पास सार्वजनिक सुरक्षा दिवार निर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.75		
3	ग्राम पंचायत खुलेत में पूरन राम के घर के पास सार्वजनिक लोहारबाडा	अ०जा०	2024-25	1.00	1.00	0.75		
4	ग्राम पंचायत खुलेत में उमा चन्द्रा के घर के पास सार्वजनिक लोहारबाडा	अ०जा०	2024-25	1.00	1.00	0.75		
5	ग्राम पंचायत खुलेत में शंकर राम के घर के पास सार्वजनिक लोहारबाडा	अ०जा०	2024-25	1.00	1.00	0.75		
6	गणाई गंगोली में सार्वजनिक मंच निर्माण अवशेष कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.75		
7	ग्राम पंचायत ग्वाल में हरज्यू मन्दिर के निकट सार्वजनिक भवन निर्माण	सामान्य	2024-25	2.00	2.00	1.50		
8	ग्राम पंचायत टिन्टा चमडुंगरा छिप्सापानी सार्वजनिक भवन निर्माण कार्य	अ०जा०	2024-25	1.00	1.00	0.75		
9	ग्राम पंचायत वैशाली में खडण्जा रोम मन्दिर से गरजीला की ओर	अ०जा०	2024-25	1.00	1.00	0.75		
10	ग्राम पंचायत लाखतोली के गालेख तोक में सार्वजनिक सिंचाई गूल का निर्माण	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.75		
योग				13.00	13.00	9.75		
कार्यदायी संस्था खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट को धनराशि अवमुक्त								
क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य का नाम	मात्राकृत योजना	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रू० में	प्रशासनिक स्वीकृत धनराशि लाख रू० में	एकमुश्त किस्त अवमुक्त लाख रू० में		
1	2	3	4	5	6	7		
1	जय माँ शैरावाली पब्लिक स्कूल लोटमाली धौडमन्या मे स्कूल बैच सैट।	सामान्य	2024-25	1.50	1.50	1.50		
योग				1.50	1.50	1.50		
कार्यदायी संस्था खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट को द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त								
क्र०सं०	प्रस्तावित कार्य का नाम	मात्राकृत योजना	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रू० में	प्रशासनिक स्वीकृत धनराशि लाख रू० में	कार्य का मूल्यांकन लाख रू० में	प्रथम किस्त लाख रू० में	द्वितीय किस्त अवमुक्त लाख रू० में 25(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम पंचायत धपना में कार्लसन मेला स्थल विकास कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.99956	0.75	0.24956
2	ग्राम बसेडा में सार्वजनिक धर्मशाला निर्माण कार्य	अ०जा०	2024-25	1.20	1.20	1.19900	0.90	0.29900

3	ग्राम पंचायत बनकोट में सार्वजनिक मैला स्थल व पेयजल मरम्मत कार्य	सामान्य	2024-25	2.00	2.00	1.84796	1.50	0.34796
4	ग्राम पंचायत भदोलीगाव में धर्मशाला का अवशेष कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.97523	0.75	0.22523
5	ग्राम पंचायत बटगोरी में सप्तेस्वर तक पेयजल अवशेष मरम्मत कार्य	अोजा	2024-25	1.00	1.00	1.00000	0.75	0.25000
6	ज्योतियाखेत को गांधी में पुलिया निर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	1.50	1.50	1.49940	1.125	0.37440
योग				7.70	7.70	7.52115	5.775	1.74615


₹0/-
मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ़।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़
पत्रांक 2963 /33-विधायक निधि/2024-25,

दिनांक 18/3/25 ।

प्रतिलिपि-

- 1 खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट को संलग्न कार्य के क्रियान्वयन हेतु कोषागार से वर्तमान में उक्त चैक/बिल से प्रेषित धनराशि आपके खाते में हस्तान्तरित की जा रही है। कृपया धनराशि प्राप्ति का खाते से मिलान करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त की गयी धनराशि ₹0 12,99,615/- (बारह लाख निम्नानवे हजार छः सौ पन्द्रह रुपये मात्र) से संलग्न कार्यों का निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाना है कि उक्त धनराशि का व्यय विधायक निधि के मानको एवं उक्त प्रतिबन्धों के अनुसार किया जा सकता है। धनराशि की प्राप्ति रसीद अद्योहस्ताक्षरी को प्रेषित करें। योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 20 ता० तक अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना होगा एवं उपभोग के उपरान्त प्रमाण-पत्र मय फोटोग्राफस अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना होगा।
- 2 मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
- 3 श्री फकीर राम टम्टा जी, मा० विधायक, वि०स० क्षेत्र गंगोलीहाट के अवलोकनार्थ।


जिला विकास अधिकारी
पिथौरागढ़।